न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी– श्री नरेन्द्र गुप्ता आई०ए०एस०

प्रकरण संख्या– 23 / 2015

बउनवान

सरकार जर्ये तहसीलदार, मांगरोल जिला–बारां **(प्रार्थी)**

बनाम

1. प्रेमचन्द
2. नन्दकिशोर पुत्रगण गणपत
3. दाखांबाई
4. गीताबाई पुत्रियां गणपत जातिगण तमोली निवासीगण मांगरोल तह. मांगरोल
5. मोहनलाल
6. सोहनलाल
7. चन्द्रप्रकाश पुत्रगण लक्ष्मीनारायण
8. कान्तिबाई पुत्री लक्ष्मीनारायण जातिगण तमोली निवासीगण मांगरोल तह. मांगरोल

(अप्रार्थीगण)

न्यायालय जिला कलेक्टर बारां (राज०)

रेफरेन्स प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा–82 भू राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थिति :–1. पेरोकार सरकार **(प्रार्थी)**

2. श्री कमलदीप सिंह हाड़ा अभिभाषक **(अप्रार्थीगण)**

आदेश दिनांक– 04.05.2022

1– प्रार्थी सरकार जर्ये तहसीलदार, मांगरोल ने रेफरेंन्स प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा–82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत विरूद्व अप्रार्थी प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वर्तमान में अप्रार्थी कम 1 ता 4 व अप्रार्थी कम 5 ता 8 के 1/2–1/2 हिस्से खाते विवादित आराजी ख0नं0 470 रकबा 0.42 है. किस्म नहरी I वाके ग्राम रामपुरा भगतान तहसील–मांगरोल राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी सम्वत 2068–71 खातेदारी में दर्ज है। उक्त आराजी के सेटलमेंट अवधि 2014–20[illegible] खसरा नम्बर 339 रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा किस्म गै.मु.तलाई रहे है, वर्तमान [illegible] 44–63 में भू प्रबंध विभाग द्वारा नवीन खसरा नंबर 470 रकबा 0.42 है [illegible] भूमि गै.मु.तलाई की किस्म नहरी I दर्ज कर अवैधानिक रूप से अप्रार्थीगण के पिता गणपत, लक्ष्मीनारा[illegible]गण माधोलाल जाति तमोली निवासी मांगरोल के खाते [illegible] कर दिया। उक्त [illegible]जी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1956 की धारा–16 के अन्तर्गत प्रतिबन्धित भूमि है। इसलिये अप्रार्थीगण के पिता को किया गया आवंटन/नियमन नियम विरूद्व है। प्रकरण अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर में डी.बी.रिट संख्या

जिला कलक्टर बारां (राज०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2022.05.13 12:15:28 IST
Reason: SelfAttested

1536/2003 निर्णय दिनांक 02.08.2004 में भी ऐसी भूमि के आवंटनों/ नियमनो को विधि विरूद्ध मानते हुए आवंटन निरस्त किये जाने के निर्देश दिये है।

अतः उक्त आवंटन/नियमन राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा–16 के तहत अवैधानिक है तथा डी0बी0 सिविल रिट याचिका संख्या 1536/03 उनवान अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय राज. उच्च न्यायालय, जयपुर के निर्णय दिनांक 2.8.2004 अनुसार ऐसी आराजी को पूर्ववत दर्ज किया जाना आवश्यक है। अतः आवंटन/नियमन निरस्त किया जाकर, भूमि को पूर्ववत स्थिति में दर्ज किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

2– प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर, अप्रार्थीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा जर्ये अभिभाषक जवाब इस आशय का पेश किया कि रेफरेन्स की मद नंबर 1 में वर्णित आराजी खसरा नंबर 339 रकबा 2 बी. 5 बि. अप्रार्थीगण के दादा गणपतलाल व लक्ष्मीनारायण पुत्रगण माधोलाल तमोली निवासी मांगरोल को मिसल नं. 145 दिनांक 05.12.1966 को जरिये नीलामी क्रय करने पर प्राप्त हुई थी जिसकी केस चालान रसीद दिनांक 22.12.1966 व प्रमाण पत्र किश्त दिनांक 30.06.1967 से जमीन जरिये नीलामी खरीद होने की पुष्टि होती है। नीलामी में क्रय की गई आराजी बाबत रेफरेन्स करने का प्रार्थी को कोई अधिकार नहीं है। जमाबन्दी संवत 2034–37 में उक्त आराजी की किस्म माल–3 के रूप में दर्ज हो रही है. जिससे भी रेफरेन्स गै.मु.तलाई मानकर किया जाना कानूनन गलत है। नवीन खसरा नं. 470 रकबा 0.42 है. के आस पास अन्य खेत हैं। गै.मु. तलाई वहां अस्तित्व में नहीं है। उक्त आराजी पर अप्रार्थीगण व उनके पिता का लगभग 70 वर्षों से कब्जा है जिससे भी उनके खातेदारी अधिकार पुष्ट हो चुके हैं और खातेदारी की आराजी के विरूद्ध रेफरेन्स कार्यवाही कानून विधि विरूद्ध है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत रेफरेंस निरस्त किये जाने योग्य है। अतः खारिज फरमाया जावे।

जिला कलक्टर

3– उक्त जवाब प्राप्त होने पर हमने पत्रावली बहस हेतु नियत की।

4– हमने बहस उभयपक्ष सुनी। बहस के दौरान पेरोकार सरकार ने प्रार्थनापत्र के समर्थन में निवेदन किया कि ग्राम रामपुरा भगतान की आराजी साबिक खसरा नम्बर 339 रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा किस्म गै.मु.तलाई को भू प्रबंध विभाग द्वारा दौराने सेटलमेंट कार्य अप्रार्थीगण के पिता के अवैधानिक रूप से खाते दर्ज कर दिया। जिस वक्त खाते दर्ज की गयी उस वक्त विवादित आराजी की किस्म [illegible] थी, जो आवंटन/नियमन योग्य भूमि नहीं थी। विवादित आराजी के बाद सेटलमेंट खसरा नं. 470 रकबा 0.42 है. बने है जो वर्तमान में अप्रार्थीगण के खातेदारी में दर्ज है [illegible] दर्ज है। यह भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत आवंटन/नियमन योग्य उपलब्ध नहीं थी। अप्रार्थी को उक्त आवंटन/नियमन नियम विरूद्ध हुआ है। ऐसे नियम विरूद्ध आंवटन/नियमन प्रारम्भतः ही शून्य है, जिसे किसी भी दशा में मान्यता नहीं दी जा सकती। वादग्रस्त आराजी के संबंध में जितनी भी कार्यवाहियॉ हुई है, वह निरस्त योग्य है। डी0बी0सिविल रिट याचिका संख्या 1536/03 उनवान अब्दुल रहमान बनाम सरकार में

जिला कलक्टर बारां (राज०)
Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2022.05.13 12:15:28 IST
Reason: SelfAttested

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.08.2004 अनुसार भी ऐसी आराजी को पूर्ववत स्थिति में दर्ज किये जाने के आदेश दिये गये है। माननीय न्यायालय के निर्णयानुसार उक्त आवंटन/नियमन को निरस्त किया जाकर, पूर्ववत उक्त आराजी को गै.मु.तलाई दर्ज किया जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थी तहसीलदार, मांगरोल द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स प्रार्थनापत्र धारा–82 भू राजस्व अधिनियम, 1956 को स्वीकार किया जाकर, रेफरेन्स माननीय राजस्व मण्डल अजमेर को अग्रेषित किया जावे।

5– बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी ने पेरोकार सरकार के कथन का खण्डन करते हुये जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि वर्तमान में अप्रार्थीगण के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजी खसरा नंबर 470 रकबा 0.42 है. वाके ग्राम रामपुरा भगतान की किस्म नहरी I है जो तलाई के स्वरूप में स्थित नहीं है। विवादित आराजी वर्तमान में खाल नाल तलाई की श्रेणी में नहीं है ओर वर्तमान स्थिति में बिल्कुल समतल जमीन है जहां पर पानी का ठहराव नहीं है। विवादित आराजी अप्रार्थीगण के पिता गणपत, लक्ष्मीनारायण पुत्रगण माधोलाल जाति तमोली निवासी मांगरोल ने जर्ये नीलामी क्रय की है। विवादित आराजी वर्तमान में कृषि योग्य भूमि है। उक्त कार्यवाही प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तो से बाहर जाकर की है अप्रार्थीगण भूमिहीन काश्तकार है उक्त आराजी के अतिरिक्त अप्रार्थीगण के पास अन्य कोई आराजी जीवन यापन के लिये नहीं है। अतः उक्त रेफरेन्स खारिज फरमाया जावे।

साथ ही निवेदन किया कि तहसीलदार, मांगरोल द्वारा 35–40 वर्ष से अधिक समय पश्चात् अब्दुल रहमान बनाम सरकार रिट में पारित आदेश दिनांक 2.8.2004 के आधार पर उक्त आवंटन/नियमन को निरस्त किये जाने हेतु रेफरेन्स प्रस्तुत किया गया है जबकि उक्त आवंटन/नियमन सरकार द्वारा किया गया है जिसमें स्टेट की ओर से तहसीलदार द्वारा रिप्रजेन्ट किया गया है। इसलिये तहसीलदार को उक्त कार्यवाहीं प्रस्तुत करने का कोई अधिकार नहीं है।

जिला कलेक्टर बारां (राज०)

6– हमने पेरोकार सरकार व अप्रार्थीगण अभिभाषक की बहस को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया। इससे पाया जाता है कि सेटलमेंट पूर्व जमाबन्दी सम्वत् 2014–23 अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 339 रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा किस्म गै.मु.तलाई सरकार दर्ज है। जिसका अप्रार्थीगण के पिता को आवंटन/नियमन किया गया ... सम्वत 2044–63 नये खसरा नम्बर 470 रकबा

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2022.05.13 12:15:28 IST
Reason: SelfAttested

7– उक्त भूमि के बाद सेटलमेंट ... 0.42 है0 बने है। उक्त आराजी वास्तविक रूप से सेटलमेंट पूर्व किस्म गै.मु.तलाई दर्ज थी जिसका आवंटन/नियमन अप्रार्थी के पिता को विधि विरूद्व हुआ है तथा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा डी0बी0 सिविल रिट जनहित याचिका संख्या 1536/03 उनवान अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित आदेश दिनांक 2.8.2004 में ऐसी आराजी को पूर्ववत स्थिति में दर्ज किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये है। इसलिये हम उक्त

जिला कलेक्टर बारां (राज०)

आवंटन/नियमन को विधि विरूद्व मानते हुए, आवंटन/नियमन निरस्त करने के लिये रेफरेंन्स माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में अग्रेषित किया जाना उचित समझते है।

8— परिणास्वरूप, प्रार्थी जर्ये तहसीलदार, मांगरोल का रेफरेन्स प्रार्थनापत्र स्वीकार कर, अप्रार्थीगण के वर्तमान में वाके ग्राम रामपुरा भगतान में दर्ज आराजी खसरा नम्बर 470 रकबा 0.42 है0 किस्म नहरी I, जो मूल रूप से सेटलमेंट पूर्व साबिक खसरा नम्बर 339 रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा किस्म गै.मु.तलाई से बना है जिसका अप्रार्थीगण के पिता को गलत रूप से आवंटन/नियमन हुआ है, आवंटन/नियमन निरस्त किये जाने हेतु राजस्थान भू राजस्व अधिनियम,1956 की धारा—82 के अन्तर्गत रेफरेन्स माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर में प्रेषित किया जावे। इस हेतु तहसीलदार मांगरोल को आदेश दिये जाते है कि इस न्यायालय से मूल पत्रावली प्राप्त कर, माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर में राजकीय अधिवक्ता से सम्पर्क कर, अन्दर मियाद रेफरेंस प्रस्तुत करे तथा सावचेत होकर प्रकरण में पैरवी सुनिश्चित करे।

9— तहसीलदार, मांगरोल को यह भी निर्देश दिये जाते है कि प्रश्नगत आवंटन/नियमन की गई आराजी जो वर्तमान में अप्रार्थीगण के खातेदारी में दर्ज है। जमाबन्दी खाते पर रेफरेंन्स होने का नोट लाल स्याहीं से राजस्व रेकार्ड में अंकित करें।

आदेश आज दिनांक 04.05.2022 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलेक्टर बारां (राज०)

(नरेन्द्र गुप्ता)
जिला कलक्टर, बारां

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2022.05.13 12:15:28 IST
Reason: SelfAttested